

MR. SPEAKER : It is upto you; you adjust yourselves. The House itself passed the Business Advisory Committee Report.

SHRI S. M. BANERJEE : May I request that this Bill be taken up on Monday so that it might be passed? There are clauses in this Bill which are awkward for the ruling party. That is why they do not want to pass this Bill.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : May we get an assurance that it will be proceeded with and finalised during this session?

MR. SPEAKER : I shall now put it to the vote of the House. The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951."

SOME HON. MEMBERS : We will press for a division.

MR. SPEAKER : Then let the Lobbies be cleared—the Lobbies have been cleared. Do you want a division?

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, अगर संसद कार्य मंत्री यह आश्वासन देते हैं कि इस को कल यहां पर पास किया जायगा और राज्य सभा में शनिश्चर को पास किया जायगा; तो फिर इस पर डिबीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम लोगों को इस सत्र में पास करने में क्या कठिनाई है ? What is the difficulty in the Government giving an assurance that it would be discussed and passed during this session? Why do they want to make just a show of it?

MR. SPEAKER : Now let us be clear. Do you want a division?

AN HON. MEMBER : No. We wanted to register our protest.

MR. SPEAKER : Now, the question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : I introduce the Bill.

12.33 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) ECONOMIC AND SOCIAL BACKWARDNESS OF LADAKH AREA IN JAMMU AND KASHMIR

श्री कुशोक बाकुला (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, लद्दाख सीमावर्ती इलाका है। चीन और तिब्बत के साथ मिला हुआ है, लेकिन वहां का जितना विकास होना चाहिये था, उतना विकास नहीं हुआ है। इतना बड़ा और सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी जम्मू-काश्मीर सरकार को इस के विकास के लिये जितना काम करना चाहिये था, उतना नहीं किया गया है। इस लिये लद्दाख के सब लोग वहां केन्द्रीय शासन की मांग कर रहे हैं। उन की यह मांग कोई नई मांग नहीं है.....

श्री शमीम अहमद शमीम (श्रीनगर) : कोई नहीं चाहता, यह गलत बात है।

श्री कुशोक बाकुला : आप ने आज तक एक लफ़्ज़ भी लद्दाख के बारे में यहां नहीं कहा है—इस लिये आप चूप रहें। हम चीन या पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, हम तो अपने यहां केन्द्रीय सरकार का शासन चाहते हैं। आप लद्दाखवासियों से पूछिये—शुरू से लेकर आज तक उन्होंने हिन्दुस्तान जिंदाबाद, इन्दिरा गांधी जिंदाबाद का नारा लगाया है। हम सयद मीर कासिम की हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं। जब से वे जम्मू-काश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने लद्दाख के लिये काफ़ी दिलचस्पी ली है। लेकिन जितना विकास होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। इतने

सालों में एक भी गांव में पक्की ग्रीपेबिल सड़क नहीं बनी है ।

श्री शमीम अहमद शमीम : जब आप मिनिस्टर थे, उस वक्त आप ने क्या किया ?

श्री कुशोक बाकुला : हमारी मांग सही मांग है और आज से नहीं बल्कि शुरू से है । 1949 में जब शेख मुहम्मद अब्दुला का शासन था, उस वक्त मैं नेशनल कान्फ्रेंस का प्रतिनिधि था, जब उनसे मतभेद हुआ, तब से ही हमारी यह मांग थी कि हम को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के शासन में लाया जाय । उस समय पं० जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, वे सब बातों को जानते थे, उस समय उन्होंने हम से कहा कि इस वक्त उन का समय नहीं है । 1962 में जब चीन का हमला हुआ, उस वक्त भी हम ने अर्ज किया था, लेकिन हम ने कोई आन्दोलन नहीं किया

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को 377 के तहत इजाजत दी है—आप ने लद्दाख की इकानामिक सिचुएशन के बारे में इजाजत मांगी थी, लेकिन आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री कुशोक बाकुला : हम ने उस समय नेफा-पेन्शन की मांग की थी । उस के बाद जब प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बनी और चव्हाण साहब गृह मंत्री थे, हम ने फिर उन के सामने अपनी मांग रखी । लेकिन उन्होंने हमें समझा दिया कि राज्य सरकार गजेन्द्रगडकर कमीशन नियुक्त कर रही है, हम उस के सामने अपनी बात रखें । हम ने गजेन्द्रगडकर कमीशन के सामने भी अपनी सारी बातें पेश कीं और उस कमीशन ने भी हमारी सारी बातों को स्वीकार किया । लेकिन उस के बाद भी लद्दाख की तरक्की नहीं हुई । इस कमीशन ने लद्दाख के बारे में जो सुझाव दिये थे, उन को भी आज तक पूरा नहीं किया गया । इस कारण आज लद्दाख की जनता यह मांग कर रही है कि वहाँ पर केन्द्रीय शासन लागू किया जाय . . .

श्री शमीम अहमद शमीम : यह गलत बात है ।

श्री कुशोक बाकुला : हम ने इस में यह भी कहा है कि लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाय—आज तक हमारी इस मांग को भी नहीं माना गया है । लद्दाख के लोगों ने कभी एजीटेशन नहीं किया, लेकिन हमारी यह मांग पूरी होनी चाहिये । दूसरे लोग ऐसी मांगों को लेकर गड़बड़ करते हैं, सरकार को परेशान करते हैं, सरकार के कामों में रुकावट डालते हैं लेकिन हम प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को परेशान नहीं करना चाहते । हमारी मांग शान्तिपूर्ण है । सैयद मीर कासिम साहब जब सितम्बर में लद्दाख आये थे उस वक्त पुलिसवालों ने बहुत से लोगों के साथ 80 साल से लेकर 7 साल की उम्र के लोगों के साथ बहुत जुल्म किया, उन के साथ मारपीट की । हम ने ये सब बातें इस में लिखी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : 377 के तहत 2 मिनट के लिये बोल सकते हैं ।

श्री कुशोक बाकुला : लद्दाख के बारे में हमें कभी वक्त नहीं मिलता है, इस लिये आज बोल रहा हूँ ।

श्री शमीम अहमद शमीम : उन पर किस ने हमला किया था ?

श्री कुशोक बाकुला : चीफ मिनिस्टर साहब जब वहाँ पर आये तो पुलिस वालों ने मार-पीट की । भेरा निवेदन है कि उसकी जांच की जाये तथा इसके लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाये । वहाँ पर बहुत जुल्म किये गए हैं । वहाँ के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वे अच्छे नहीं हैं । जो वहाँ पर चोरियाँ हुईं और स्कूल में आग लगी उसके सम्बन्ध में वे कोई कार्यवाही नहीं कर सके । लद्दाख की जनता पर जुल्म हुए और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो मीर कासिम साहब वहाँ पर आये । लद्दाख की जनता वहाँ पर केन्द्रीय शासन की मांग करती है ।

[श्री अशोक बाकुला]

लदाख में कोई विकास हुआ या नहीं इसकी जांच करने के लिए मैं मांग करता हूँ कि वहाँ पर संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाये। पहले भी मैं ने सादिक साहब से इस बात की मांग की थी लेकिन यहाँ से कोई प्रतिनिधि मण्डल नहीं भेजा गया था। उसका कारण यह था कि अगर प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाता तो सारी पोल खुल जाती। इसलिए मैं फिर इस बात की मांग करता हूँ कि यहाँ से एक प्रतिनिधि मण्डल वहाँ भेजा जाये जो वहाँ पर जाकर देखे कि क्या स्थिति है। लदाख का एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ की तरक्की होनी चाहिए जिसके लिए अभीतक कुछ नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करता हूँ कि बहुत जल्दी सोच-समझ कर केन्द्रीय सरकार को वहाँ का शासन अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि लदाख का विकास होने के साथ-साथ इस देश का भी विकास हो सके।

(II) REPORTED DEATH OF A PERSON AND INJURY TO OTHERS DURING PRACTICE BY N.C.C. IN A VILLAGE IN GUJARAT

कुमार: मणिबेन पटेल (साबरकंठा) :

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दुःखद घटना की ओर आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध रखती है। मैं जब अपने निर्वाचन-क्षेत्र साबरकंठा गई थी तभी वहाँ उसका पता चला। 13 तारीख को एक देहात में जिसका नाम हांसलपुर है, एन० सी० सी० की प्रैक्टिस हो रही थी। उसके सम्बन्ध में वहाँ पर जो प्रिकाशन्स लिये जाने चाहिये थे वह नहीं लिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 13 तारीख को एक खेत में एक ब्रॉल मर गया। इस घटना के पश्चात् वहाँ के लोग हिम्मत नगर गए, वहाँ पर बताया लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं किया गया।

दूसरे दिन 14 तारीख को उसी खेत में एक चरवाहे को उसके घुटने के आस-पास गोली लगी। उसको लेकर लोग फिर हिम्मतनगर गए, पुलिस केस भी किया लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। 15 तारीख को पुनः उसी खेत में एक किसान के जवान लड़के को गोली लगी और वह वहाँ पर मर गया। देहात के लोग उसको लेकर हिम्मतनगर गए लेकिन अभीतक उसके मां बाप को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। 17 तारीख को सुबह जब मैं ने उस घटना के बारे में सुना तो मैं भी वहाँ पर पहुँची। मैं ने यह सुना कि वहाँ पर कोई मिनिस्टर आये थे जिनकी सेवा करने में सरकारी कर्मचारी लगे हुए थे इसलिए इस घटना की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ पहुँच कर उस मृतक लड़के की जवान स्त्री और वृद्ध माता पिता के पास गई। मैं उन लोगों को और क्या आश्वासन दे सकती थी, मैंने उस जवान स्त्री के हाथ में एक सौ रुपए का नोट रखा लेकिन वहाँ के लोग इतने स्वर्गभ्रामर्नि हैं कि उन्होंने उस नोट को मोटर पर वापिस भेज दिया। वे लोग भगवान पर भरोसा रखने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि उस किसान परिवार को राज्य सरकार तथा रक्षा मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो सहायता मिलनी चाहिए उस सम्बन्ध में अभीतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कम से कम 17 तारीख तक जब कि मैं वहाँ गई थी उस परिवार को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। मेरा निवेदन है कि जब रेल दुर्घटना में मरने वालों के लिए आपने 50 हजार की सहायता देने की व्यवस्था की है तब वहाँ पर जब आपकी गलती से एक व्यक्ति की जान चली गई है क्या उसके परिवार को यह सहायता करना आपका दायित्व नहीं है? मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो कदम उठाना चाहिए यह अभी तक नहीं उठाया गया है इसलिए वह लड़का जो मर गया है उसके परिवार को सहायता देने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।